संख्या–333/VI–1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 09 सितम्बर, 2005

विषय :– शहीद स्मारक देघाट का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2742/बाईस–19/ 2003–04 दिनांक, 27 जनवरी, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शहीद स्मारक भवन देघाट के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रू018.88 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 6.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेश में निहित निदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–12–शहीद स्मारक–29 अनुरक्षण आयोजनेत्तर मद के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–710/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक– 20–8–05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

090905005

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव